

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

गिनो - 02/2024

अन्वयन :-

1. बालूराम पुत्र रामकिशन जाति कुम्हार साकिन छानीवड़ी तहसील भादरा।

:-वादी

वनाम्

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा व राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 72/19 के मुरब्बा नम्बर 3, मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 3.5420 है० नहरी मय गै०मु० खाला की कृषि भूमि संयुक्त खाता में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम बालूराम पुत्र रामनिवास के स्थान पर बालूराम पुत्र रामकिशन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बालूराम पुत्र रामनिवास के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम बालूराम पुत्र रामनिवास ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

